



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129273

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 17250 वर्ष 2026

अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : चमन कुमार सत्यार्थी, रमा पति त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राम पति त्रिपाठी और राज्य की ओर से विचारण ए.जी.ए. की बात सुनी गई।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह अर्जी इस अनुरोध के साथ दायर की गई है कि मुकदमा संख्या 158506/2025 (स्टेट बनाम जतिन कुमार उर्फ सतेंद्र सिंह और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जाए। यह केस, मुकदमा अपराध संख्या 387/2025 से जुड़ा है, जो बी.एन.एस. की धारा 319(2), 318(4), 336(3), 61(2) और उत्तर प्रदेश परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धारा 7/8/13 के तहत थाना महाराजपुर, जिला कानपुर नगर में दर्ज किया गया था। साथ ही, 17.11.2025 की चार्जशीट और 19.11.2025 के संज्ञान/समन आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जो ए.सी.जे.एम.- 4, कानपुर नगर की न्यायालय में लंबित हैं।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 19.09.2025 को दोपहर 1:00 बजे से 2:15 बजे के बीच हुई इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक (जीडी) भर्ती परीक्षा के दौरान, यह आरोप लगाया गया था कि कुछ उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड पर नकली तस्वीरें लगाकर और असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा में शामिल होकर प्रतिरूपण किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपी जतिन ने कथित तौर पर एक नकली तस्वीर का इस्तेमाल करके सतेंद्र नाम के दूसरे उम्मीदवार की जगह परीक्षा दी थी, जबकि मौजूदा आवेदक पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान उसी सह-आरोपी को आवंटित सीट से परीक्षा दी थी। आगे यह आरोप लगाया गया है कि, किसी के बदले परीक्षा देने के शक की जानकारी मिलने पर, परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले ही, आवेदक और अन्य आरोपी कथित तौर पर बाहर जमा भीड़ का फायदा उठाकर परीक्षा केंद्र से भाग गए, जिसके बाद अगले दिन संबंधित एफआईआर दर्ज की गई। वह आगे कहते हैं कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और उस बयान तथा एडमिट कार्ड की कथित बरामदगी के आधार पर, आवेदक और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि असलियत 'फ़र्स्ट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट' (एफआईआर) में बताई गई बातों से बिल्कुल अलग है। आवेदक ने परीक्षा अधिकारियों द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आधार कार्ड व एडमिट कार्ड की जांच के बाद, एक असली उम्मीदवार के तौर पर 'नाविक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जीडी)' भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। सफल वेरिफिकेशन के बाद, उसे परीक्षा हॉल में जाने और अपनी तय सीट पर बैठने की इजाजत दी गई, जहाँ उसने परीक्षा अधिकारियों की ओर से बिना किसी आपत्ति के, इनविजिलेटर की देखरेख में परीक्षा लिखना शुरू किया। परीक्षा शुरू होने के लगभग पंद्रह मिनट बाद, एक एस.आई.टी. टीम कुछ संदिग्ध उम्मीदवारों के बारे में पूछताछ करने के लिए परीक्षा केंद्र पहुँची, जो कुछ लाइन आगे बैठे थे। इससे उम्मीदवारों में घबराहट फैल गई और जब एसआईटी ने परीक्षा अधिकारियों से पूछताछ की, तो उन्होंने सभी उम्मीदवारों को कमरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया; इसी आपाधापी में मौजूदा आवेदक को गलत तरीके से फँसा दिया गया।

5. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच किए बिना, और कथित तौर पर किसी और का रूप धरने में आवेदक की भूमिका साबित करने वाला सीसीटीवी फुटेज या कोई ठोस सबूत इकट्ठा किए बिना ही, आम और यांत्रिक तरीके से चार्ज-शीट दाखिल कर दी।

6. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि कानपुर नगर के के.आई.टी. परीक्षा केंद्र पर इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा अधिकारियों द्वारा जांच और निगरानी के दौरान, मौजूदा आवेदक अभिषेक को सह-आरोपी जतिन और सत्येंद्र के साथ परीक्षा केंद्र पर ही पकड़ लिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक अभिषेक सह-आरोपी जतिन बनकर परीक्षा दे रहा था और उस उम्मीदवार के लिए आवंटित सीट पर बैठा था। पूछताछ और जांच-पड़ताल के बाद, परीक्षा अधिकारियों को पता चला कि वह किसी और की जगह परीक्षा दे रहा था और उसने नकली पहचान-पत्रों का इस्तेमाल किया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



7. जांच अधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों के पास से 11 एटीएम कार्ड, 6 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज़ बरामद किए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर किसी और की जगह परीक्षा देने और परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए किया गया था। जांच के दौरान परीक्षा केंद्र, वेरिफिकेशन प्रोसेस और आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों ने खास तौर पर मौजूदा आवेदक की पहचान की है और असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा में बैठने में उसकी सक्रिय भूमिका बताई है। जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने आवेदक और सह-आरोपी के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 319(2), 318(4), 336(3) और यू.पी. पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश, 2024 की धारा 7/13 के तहत अपराधों के लिए चार्ज-शीट दाखिल की।

8. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, यह न्यायालय पाती है कि एफआईआर से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है। दस्तावेज़ी और मौखिक सबूत इकट्ठा करने के बाद जांच पूरी हुई और चार्ज-शीट दाखिल की गई। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि आरोपी को परीक्षा केंद्र से ही पकड़ा गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वह सह-आरोपी जतिन की जगह परीक्षा दे रहा था (यानी उसकी जगह पर परीक्षा में शामिल हो रहा था)। जांच के दौरान पहचान से जुड़े कई दस्तावेज़ बरामद किए गए, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड शामिल हैं। गवाहों ने आरोपी की पहचान की है और उसकी भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। जांच अधिकारी ने सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद चार्ज-शीट दाखिल करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इस चरण पर, न्यायालय के लिए सबूतों की बारीकी से जांच करना या आरोपों की सच्चाई पर फैसला करना ज़रूरी नहीं है। आवेदक जो बचाव पक्ष रखना चाहता है, उसमें तथ्यों से जुड़े विवादित सवाल शामिल हैं; इनकी जांच सिर्फ विचारण के दौरान ही की जा सकती है, जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर दें। बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत निहित अधिकार-क्षेत्र प्रकृति में असाधारण है और इसका इस्तेमाल बहुत कम, सावधानी से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके या न्याय सुनिश्चित किया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल' (एआईआर 1992 एस सी 604) मामले में वे जानी-मानी श्रेणियां तय की हैं, जिनके तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। मौजूदा मामला बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021)19 एस सी सी 401** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि अपनी अंतर्निहित अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय, हाई न्यायालय को सबूतों की जांच-परख या 'मिनी विचारण' नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, **सीबीआई बनाम आर्यन सिंह (2023 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 379)** मामले में यह कहा गया है कि कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय, हाई न्यायालय सबूतों की पर्याप्तता या विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

10. इस मामले में, आरोप एक सरकारी भर्ती परीक्षा में किसी और के बदले परीक्षा देने, नकली पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करने और प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने से जुड़े हैं। जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर लगाए गए अपराध किए गए हैं। क्या अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी उचित संदेह के साबित कर पाता है, यह विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा। ऐसी कोई स्पष्ट गैर-कानूनी बात, अधिकार-क्षेत्र की गलती या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं दिखाया गया है जिससे बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत निहित अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े।

11. इसलिए, इस न्यायालय का यह मानना है कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इस मामले में सक्षम विचारण न्यायालय के समक्ष सबूतों के आधार पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

12. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत दायर आवेदन में कोई दम नहीं है और इसलिए, इसे **खारिज** किया जाता है।

13. हालाँकि, यहाँ की गई कोई भी टिप्पणी केवल इस आवेदन के निपटारे तक ही सीमित है और इसका असर विचारण न्यायालय के सामने चल रहे मामले के गुण-दोष पर नहीं पड़ेगा। विचारण न्यायालय कानून के अनुसार तेज़ी से और स्वतंत्र रूप से मामले पर आगे बढ़ेगी।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

23 जून, 2026

अभिषेक गुप्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।